न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 35/2017 दायरा दिनांक : 08.03.2017

उनवान

1. रणवीर सिंह पुत्र लालजी राम
2. लालजी राम पुत्र पृथ्वी सिंह
3. जगराम पुत्र पृथ्वी सिंह जातियान अहीर (यादव)
4. निवासीगण अमरोद तहसील शाहबाद जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. धनपालसिंह पुत्र हरिराम आयु 28 साल जाति अहीर निवासी सिंगन तहसील कोलाराम हाल निवासी अमरोद तहसील शाहबाद जिला बारां
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब शाहबाद

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 02–01–2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र/51/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 ने रेस्पो. नं. 2 के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम अमरोद तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 93 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 180/219 रकबा 4 बिस्वा कुल 2 किता की 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित है। आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के मामा बुद्धा पुत्र हलकेराम के खाते में दर्ज है, जिनकी मृत्यु दिनांक 13–06–2015 को हो चुकी है। वह लाऔलाद फौत हुए है। वादी बुद्धा की बहन धापू के पुत्र का पुत्र है। धापू का देहांत हो चुका है। बुद्धा ने 3 साल पहले वादी को बुलाकर अपने पास रख लिया था और इस आराजी की वसीयत वादी के पक्ष में की थी। वसीयत वैध और अंतिम है, इसके आधार पर वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–05–2016 से दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत जिसके आधार पर दावा डिक्री किया गया है, उसको पेश नहीं किया गया है और न ही उसको प्रमाणित कराया गया है। मृतक बुद्धा अपीलांट नं. 2 व 3 के चाचा थे और अपीलांट नं. 1 को गोद लिया था। वसीयत फर्जी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि निर्णय की जानकारी दिनांक 22–02–2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलंब का शमन किया जाये।

अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। बुद्धा के वारिस है। रेस्पोडेंट ने बिना अपीलांट को पक्षकार बनाए दावा पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाये।

अपील प्राप्त होने पर सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की, जो शामिल फाईल की। लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। तथ्यों को छुपाकर गैरकानूनी डिक्री प्राप्त की है। वसीयत के आधार पर दावा डिक्री किया है, जबकि वसीयत न तो न्यायालय में पेश हुई है और न ही उसके गवाह पेश किये गये है। वसीयत विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब का शमन किया जाता है व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सवंत् 2068 से 71, नया खाता संख्या 70 पेश की गई है, जिसमें वादग्रस्त आराजी बुद्धा के खाते में दर्ज है। बुद्धा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति व

एक वसीयत की फोटोप्रति पेश की गई है। दस्तावेजों को एक्जीविट नहीं कराया गया है। बयान इन्द्रसेन पी.डब्ल्यू–1 कराया जाना अंकित है, परंतु इस प्रकरण में वादी इन्द्रसेन नहीं वरन् धनपाल है। रणवीर पी.डब्ल्यू–2, धनपाल पी.डब्ल्यू–3, भैयालाल पी.डब्ल्यू–4 कराये गये है। वादी के बयान पी.डब्ल्यू–3 के रूप में कराये गये है। इस बयान के अनुसार जो दस्तावेज एक्जीविट कराये गये है, वो शिवपुरी अस्पताल की पर्ची की फोटोप्रति है, जिसपर एक्जीविट –1 अंकित किया गया है। पंचनामे की फोटोप्रति पर एक्जीविट –3 अंकित किया गया है और शोक संदेश को एक्जीविट–2 के रूप में अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने फोटोप्रतियों को एक्जीविट कर विधिक त्रुटि की है और शोक संदेश में अपीलांट नं. 2 व 3 के अलावा कुछ अन्य लोगो के भी नाम है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने सरकार को पक्षकार बनाकर वसीयत के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है। न तो अधीनस्थ न्यायालय में असल वसीयत पेशकर उसको एक्जीविट करवाया है और न ही उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित कराया गया है। यहीं नहीं दावे में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जो बुद्धा के वारिस है, उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–05–20106 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण से जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करे। यह भी ध्यान रखा जावे कि

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मृतक बुद्धा के अन्य भी वारिसान है तो उन्हें भी पक्षकार बनाया जाये। पक्षकारों को पाबंद किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–02–2018 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक **02–01–2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा